सर्वोच्च प्राथमिकता

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
इलाहाबाद।
पुलिस अधीक्षक
फतेहपुर/प्रतापगढ़/कौशाम्बी।

कृपया पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के डीजी परिपत्र संख्याः 71/2016 दिनांकः 28.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जो मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्याः17171 (एम/बी)/2016 इकरार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.11.2016 पारित करते हुए यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि 156(3)सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में मा0 न्यायालय द्वारा अभियोग पंजीकृत किये जाने के आदेश पारित किये जाने के बाद अत्यन्त विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जा रही है और विवेचना भी अनावश्यक रूप से लम्बित रखी जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संलग्न संदर्भित परिपत्र का भली–भॉति अवलोकन कर परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार 156(3)सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों पर मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर विवेचना शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित कराना सुनिश्चत करें तथा भविष्य में यदि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

(विजय यादव)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद।

अशा0 पत्र संख्याःसीओए–एसी–2- (परिपत्र–71)/2016
दिनांकःइलाहाबादःदिसम्बरः30, 2016

प्रतिलिपिःपुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद को उपरोक्त संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।